न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26/2013	30/05/2008	06.01.2026

1. लटूरलाल पुत्र पाच्या जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा (मृतक) कायम मुकामानः–

1/1 हजारीलाल पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
1/2 नन्दकिशोर पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा पुष्पा बाई पुत्री
1/3 द्रोपती बाई पुत्री लटूरलान जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
1/4 पुष्पा बाई पुत्री लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
1/5 केशर बाई बेवा लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा

–वादीगण–

बनाम

1. बूंचीलाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी कैजलिया तह० पीपल्दा
2. कल्याण पुत्र पाच्या जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
3. मोडूलाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
4. नेमीचन्द पुत्र लडडूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
5. राजाराम पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
6. दयाराम पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
7. पप्पूलाल पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
8. छोटूलाल पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
9. फोरन्ती बाई पुत्री लड्डूलाल जाति बैरवा नेवासी कजलिया तह० पीपल्दा
10. कन्या बाई बेवा लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा, तहसील पीपल्दा

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अभिभाषकगण
1. श्री हरिमोहन मीणाः–वकील वादी
2. श्री विजेन्द्र सिंह :–वकील प्रतिवादीगण ।

अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

–:निर्णयः–

वादी द्वारा वाद न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के खतौनी सं० नई 215 पुरानी 205 में ख० नं० 811 रकबा 1.10 है० वाके माल ग्राम ख्यावदाव खतौनी सं० नयी 88 पुरानी 85 में ख० नं0 151 रकबा 0.31 है० ख0नं0 152 रकबा 0.95 है० किता 2 की कुल रकबा 1.26 है० वाके माल ग्राम खेडली किशनपुरा में स्थित है। उक्त ग्राम ख्यावदा व खेडली किशनपुरा का संपूर्ण रकबा 2.36 है० कृषि आराजी वादी एव प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के खातेदारी मे दर्ज है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 4 लगायत 10 का 1/5 हिस्सा नियत है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के मध्य आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व से पारिवारीक बंटवारा मौके पर कर रखा है। वादी का मुताबिक राजस्व रिर्काड हिस्सा 1/5 जो 0.47 है0 के समतुल्य बनता है। वादी का 0.47 है० उत्तर दिशा

की तरफ वाली कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। शेष 0.63 है० प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 काबिज काश्त है तथा ख० नं० 151 रकबा 0.31 है०, ख०नं० 152 रकबा 0.52 है0 किता 2 रकबा 1.26 है० वाके माल ग्राम खेडली किशनपुरा पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 बाट बराबर से मेडबंधी करके आज से करीबन 30 वर्ष पूर्व से काबिज काश्त कर रहे है। वादी को इसके हिस्से की 1/5 यानि 0.47 है० कृषि आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा ग्राम ख्यावदा की ख0नं0 811 रकबा 1.10 है0 मे से दे रखा है जिस पर मेडबंधी करके वादी करीबन 30 वर्षों से काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण के मन बध्यान्ति आ जाने की वजह से एक राय होकर अपना नाम खाते मे दर्ज होने तथा संयुक्त खाते की कृषि भूमि होने का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 ग्राम ख्यावदा की कृषि भूमि में से अपने हिस्से की कृषि भूमि को बेचान करने पर आमदा है तथा वादी को अपने खाते व कब्जे काश्त की उक्त कृषि आराजी पर से बेदखल करना चाहते है। क्योंकी प्रतिवादीगण ने एक राय कर रखी है तथा ग्राम खेडली किशनपुरा की सम्पूण आराजी पर अपना कब्जा कर रखा है। जिसमें से राजस्व रिकार्ड के अनुसार जो हिस्सा वादी का बनता है उसे देने से इंकार कर दिया है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम ख्यावदा व खेडली किशनपुरा में से पारिवारीक बंटवारे के अनुसार ख0नं0 811 रकबा 1.10 है० वाके माल ग्राम ख्यावदा में से वादी का नियत हिस्सा 1/5 यानि 0.47 है० उत्तर दिशा की तरफ वाली का पृथक से बंटवारा करके खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी तरह की मदाखलत व मजामहत प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तदनुसार डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ जारी की जावें।

दावा वादी दर्ज रजि० किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 10 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी द्वारा किये गये तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादी तथा प्रतिवादी नं० 1 लगायत 10 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त में ग्राम ख्यावदा तह० पीपल्दा में ख० नं0 811 रकबा 1.10 है० तथा ग्राम खेडली किशनपुरा में तह० पीपल्दा में ख० नं0 151 रकबा 0.31 है०, ख० नं0 152 रकबा ख०नं० 0.95 है० किता 2 रकबा 1.26 है०, भूमि स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नं0 11 लगायत 3 का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 4 लगायत 10 का 1/5 हिस्सा निहित है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय हो चुके विभाजन अनुसार ही वर्तमान में काबिज काश्त है तथा उसी अनुरूप ही अपना विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी तथा प्रतिवादी नं० 1 लगायत 10 के मध्य हो चुका है। ग्राम ख्यावदा, तह० पीपल्दा ख०नं० 811 रकबा 1.10 है0 में वादी 0.47 है० उतरी दिशा पर तथा शेष 0.63 है0 में से 0.16 है० प्रतिवादी न० 1 लगायत 3 के हिस्से तथा 0.15 है० प्रतिवादी नं0 4 लगायत 10 के हिस्से में है। तथा ग्राम खेडली किशनपुरा की ख0नं0 151 रकबा 0.31 है0 4 लगायत 10 के पास तथा ख०नं० 152 रकबा 0.95 है0 में से 0.32 है० प्रतिवादी नं० 1 के 0.32 है० प्रतिवादी नं० 2 के तथा 0.31 है० प्रतिवादी नं० 3 पर विभाजन में प्राप्त हुई है। वादी लटूरलाल का कोई हिस्सा खेडली किशनपुरा की आराजी मे नही है। अतः काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्तानुसार वादी एंव प्रतिवादी नं० 1 लगायत 10 के मध्य विभाजन किया जावें।

वाद पत्र वादी जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 लगायत 10 के आधार पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई:–

तनकी नं० 1:– आया वादीगण प्रतिवादीगण मुताबिक पारिवारिक विभाजन करवाने के अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादीगण)

तनकी नं0 2:– आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। (जिम्मेवादी)

तनकी नं0 3 दादरसी :–

वादी द्वारा दस्तावेज साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2063 –66 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी संवत 2058 –61 प्रदर्श , प्रस्तुत किये तथा शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 1 लटूरलाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी कजलिया, पी.डब्ल्यू डब्ल्यू 2 हेमराज केशरीलाल पुत्र हरदेव जाति बैरवा निवासी कजलिया के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरात भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रवाली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने वाद वादी की मृत्यु हो जाने के कारण वकील वादी द्वारा वादी के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने हेतु एक पार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 03.01.2012 को स्वीकार किया जाकर वादी के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। बहस वकुलाये सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। न्यायालय तनकीवार निर्णय प्रकार निर्णित किया गया।

तनकी नं० 1 :– इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावें के जवाब में जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी मे वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं० 4 लगायत 10 का 1/5 हिस्से अनुसार विभाजन करने के लिए निवेदन किया हैं। गौर तलब है कि विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक भूमि है। जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर अधिकार है। प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में पारिवारीक विभाजन संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित ख०न० को वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से अनुसार आपसी सहमति से विभाजित कर रखा हो जिस पर सभी सहखातेदार काबिज काश्त हो। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम को सिद्ध नहीं कर सके है। इसलिए यह तनकी आंशिक रूप से इस हद तक बहक प्रतिवादीगण, स्वीकार की जाती है कि उक्त आराजी मे वादीं का 1/5 प्रतिवादी नं० 1 लगायत का 1/5, 1/5 तथा प्रतिवादी नं. 4 लगायत 10 का 1/5 हिस्सा संयुक्त रूप से है।

तनकी नं0 2 :– इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी संवत 2063–66, प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी 2058–61 एंव बयान पी.डब्ल्यु 1 लटूरलाल, पी. डब्ल्यु 2 केशरीलाल प्रस्तुत किये। उक्त दस्तावेजो का गहन अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार है। जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी 1 लगायत 3 में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 4 लगायत 10 का 1/5 हिस्सा है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है। जिसमें वादी अपने हिस्से का विभाजन करा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करने का अधिकारी है। वादी द्वारा वादपत्र में ख0नं0 811 रकबा 1.10 है० वाके ग्राम ख्यावदा में से वादी का 1/5 हिस्सा 0.47 है० उत्तरी दिशा की तरफ का बंटवारा कर खातेदार घोषित करने का निवेदन किया है। लेकिन संयुक्त

खाते की आराजी में प्रत्येक इंच भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण का अधिकारी है और उसके अनुसार वादी सम्पूर्ण आराजी में 1/5 हिस्से का बंटवारा करा कर ही स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। उपरोक्तानुसार तनकी बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं० दादरसी 3 :– तनकी नं० 1 लगायत 2 के निर्णयानुसार यह सिद्ध होता है कि उक्त विवादित आराजी पैतृक सम्पति है। जिसका वादी एवं प्रतिवादीगण बंटवारा करवाकर अपना हिस्सा प्राप्त कर पृथक लगान दर्ज करवाने के अधिकारी है।

दिनांक 12.09.2024 को तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 811 रकबा 1.10 है0 ग्राम ख्यावदा पटवार हल्का ख्यावदा तहसील पीपल्दा के बारे में वादी लटूर लाल के वारिसान में लड्डू लाल के वारिसान को हकत्याग करना चाहते हैं तथा इसके उपरांत सहमति पूर्ण विभाजन के लिए तैयार हैं तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट दिनांक 18.11.2025 के अनुसार प्राथमिक डिक्री तथा राजस्व अभिलेख में विभिन्नता खसरा नंबर 811 रकबा 1.10 है0 के बारे में बताई गई है जहाँ प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का 3/5 हिस्सा प्रेम बाई पत्नी मदनलाल को बेचान की जा चुकी है तथा प्रेम भाई का 3/5 हिस्सा अभिलेख में दर्ज है। तहसील की प्रथम एवं द्वितीय रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुसार खातेदारों के मध्य अंतिम डिक्री किया जाना संभव नहीं है तथा पक्षकार भी सहमति से बंटवारे के लिए तैयार हैं ऐसे में विवादित भूमि पर विवाद समाप्त माना जाता है उभयपक्ष तहसीलदार व उपपंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर सहमतिपूर्ण बंटवारा करवा सकते हैं ख0न0 151 व रकबा 0.31 है0 व ख0न0 152 ,रकबा 0.95 ग्राम ख्यावदा पटवार हल्का ख्यावदा मुताबिक तहसील रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख गैर–खातेदारी में दर्ज है पक्षकार गैर–खातेदार होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,1955 की धारा 53 के तहत Division of Holdings (जोतो के विभाजन) का दावा नहीं कर सकतें। केवल खातेदार Co-tenant (सह काश्तकार) ही ऐसा दावा कर सकते हैं गैर–खातेदार तथा सह खातेदार अलग–अलग शीर्षक हैं जिसमें सह खातेदार को पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं जिनकी घोषणा करवा कर वह पृथक खाता, लगान व नक्शा कायम करवाने का हकदार होता हैं जबकि गैर–खातेदार के अधिकार गैर–हस्तांतरणीय है तथा गैर–खातेदार को कृषि भूमि में सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे में गैर–खातेदारी विभाजन का दावा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद ही दायर कर सकता है। So a Gair-khatedar has no locus standi to file such a partition suit Gari-khatedar has no divisible interest. उक्त विवेचन का सारांश तथा क्रियात्मक आदेश यह है की खसरा नंबर 811 पर पक्षकारों के मध्य सहमतिपूर्ण बंटवारे की स्थिति की रिपोर्ट तथा खसरा नंबर 151 व 152 पर पक्षकार गैर–खातेदार दर्ज होने के कारण न्यायालय द्वारा अंतरिम डिक्री नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्राथमिक डिक्री को लागू भी नहीं किया जा सकता है। अतः प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2013 की पालना नहीं की जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26/2013	30/05/2008	06.01.2026

1. लटूरलाल पुत्र पाच्या जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा (मृतक) कायम मुकामानः–

1/1 हजारीलाल पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा

1/2 नन्दकिशोर पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा पुष्पा बाई पुत्री

1/3 द्रोपती बाई पुत्री लटूरलान जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा

1/4 पुष्पा बाई पुत्री लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा

1/5 केशर बाई बेवा लटूरलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा

–वादीगण–

बनाम

1. बूंचीलाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी कैजलिया तह० पीपल्दा
2. कल्याण पुत्र पाच्या जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
3. मोडूलाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
4. नेमीचन्द पुत्र लडडूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
5. राजाराम पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
6. दयाराम पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
7. पप्पूलाल पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
8. छोटूलाल पुत्र लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
9. फोरन्ती बाई पुत्री लड्डूलाल जाति बैरवा नेवासी कजलिया तह० पीपल्दा
10. कन्या बाई बेवा लड्डूलाल जाति बैरवा निवासी कजलिया तह० पीपल्दा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा, तहसील पीपल्दा

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री हरिमोहन मीणाः–वकील वादी
2. श्री विजेन्द्र सिंह :–वकील प्रतिवादीगण ।

अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट

–:निर्णयः–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री हरिमोहन मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खसरा नंबर 811 पर पक्षकारों के मध्य सहमतिपूर्ण बंटवारे की स्थिति की रिपोर्ट तथा खसरा नंबर 151 व 152 पर पक्षकार गैर–खातेदार दर्ज होने के कारण न्यायालय द्वारा अंतरिम डिक्री नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्राथमिक डिक्री को लागू भी नहीं किया जा सकता है। अतः प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2013 की पालना नहीं की जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक .....को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रैक इटाया